न्यायालय तालुका विधिक सेवा(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, संख्या–02)केकड़ी
राष्ट्रीय लोक अदालत–2023 मुकाम भिनाय
प्रकरण सं./प्रार्थना पत्र/एल.आर./09/2023

1. रामनिवास दत्तक पुत्र मदन जाति माली निवासी भिनाय, तहसील भिनाय केकड़ी
2. नारायण पुत्र नन्दा जाति माली निवासी भिनाय, तहसील भिनाय केकड़ी
3. मुन्नालाल पुत्र मदन जाति माली निवासी भिनाय, तहसील भिनाय केकड़ी
4. रामनाथ पुत्र नन्दा जाति माली निवासी भिनाय, तहसील भिनाय केकड़ी
5. रामस्वरूप पुत्र नन्दा जाति माली निवासी भिनाय, तहसील भिनाय केकड़ी
6. सुरजमल पुत्र नन्दा जाति माली निवासी भिनाय, तहसील भिनाय केकड़ी

प्रार्थीगण

बनाम

1. अमरदीप पुत्र सुवालाल जाति भाम्बी निवासी भिनाय, तहसील भिनाय केकड़ी
2. बिरदी पत्नी रंगलाल जाति माली निवासी भिनाय, तहसील भिनाय केकड़ी
3. रामदेव पुत्र छोटू जाति माली निवासी भिनाय, तहसील भिनाय केकड़ी
4. बालू पुत्र उकार जाति बैरवा निवासी भिनाय, तहसील भिनाय केकड़ी
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय तहसील भिनाय अजमेर

अप्रार्थीगण

निर्णय अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थित :– 1. वकील प्रार्थी– राहुल आचार्य
2. वकील अप्रार्थी– किशन आचार्य
3. पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांक– 09.12.2023

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि **मौजा भिनाय पटवार क्षेत्र भिनाय भू0अ0नि0 क्षेत्र भिनाय के खाता सं0 874 में दर्ज खसरा नं. 4196 रकबा 0.50 है0 व ख0नं. 4197 रकबा 0.36 कुल खसरे 02 कुल रकबा 0.86 और खाता सं0 1178 में दर्ज खसरा नं. 4203 रकबा 1.13, है0 कुल खसरे 01 कुल रकबा 1.13 हैं0 है** जो कि प्रार्थीगण के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि होने के कारण स्थाई पत्थरगढी कराना चाहता हैं। अप्रार्थी सं0 1 लगा0 4 प्रार्थी की कब्जे काश्त भूमि पर नाजायज दखल देने एवं अप्रार्थी सं. 5 जरिये तहसीलदार भिनाय ने प्रार्थी को पत्थरगढी हेतु न्यायालय का आदेश लाने पर पत्थरगढी करने हेतु कहने के कारण प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण सं0 1 लगा0 2 की विधिवत तामिली उपरान्त भी पत्रावली में उपस्थित नहीं होने तथा जवाब पेश नहीं करने के कारण दिनांक 18.10.2023 को अप्रार्थी सं. 01 तथा 02 के विरूध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थीगण संख्या 03 तथा 04 की ओर से अधिवक्ता श्री किशन आचार्य द्वारा वकालतनामा मय जबाव पेश कर अप्रार्थीगणों को सूचित कर पत्थरगढ़ी करने पर अनापत्ति प्रकट की। पैरोकार सरकार उपस्थित। पैरोकार सरकार प्रार्थना–पत्र में जवाब प्रस्तुत कर मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्रश्नगत आराजी प्रार्थी की खातेदारी आराजी होना स्वीकार करते हुए पत्थरगढी के आदेश जारी किया जाना उचित बताया। वकील प्रार्थी, अप्रार्थी एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी प्रार्थी की स्वयं की खातेदारी भूमि होने का हवाला देते हुए प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता अप्रार्थी

अध्यक्ष
लोक अदालत बैंच
(तालुका विधिक सेवा समिति)

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (केकड़ी)

संख्या 03 व 04 द्वारा जवाब प्रार्थना–पत्र के अनुरूप कथन करते हुए पत्थरगढ़ी किये जाने पर अनापत्ति प्रकट की। पैरोकार सरकार द्वारा पैरा सं. 1 मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड स्वीकार किया है।

प्रकरण राष्ट्रीय लोक अदालत–2023 के तहत पेश हुआ। वकील प्रार्थी, अप्रार्थी एवं पैरोकार सरकार को सुना गया। । उपस्थित बैंच द्वारा पत्रावली एवं राजस्व जमाबन्दी ग्राम भिनाय का अवलोकन एवं मनन किया गया। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी प्रार्थी की स्वयं की खातेदारी भूमि होना पाया गया। ऐसी स्थिति में बैंच सदस्यों द्वारा प्रार्थना–पत्र वास्ते पत्थरगढी का न्यायोचित होना पाया गया। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर **मौजा भिनाय पटवार क्षेत्र भिनाय भू0अ0नि0 क्षेत्र भिनाय के खाता सं0 874 में दर्ज खसरा नं. 4196 रकबा 0.50 है0 व ख0नं. 4197 रकबा 0.36 कुल खसरे 02 कुल रकबा 0.86 और खाता सं0 1178 में दर्ज खसरा नं. 4203 रकबा 1.13, है0 कुल खसरे 01 कुल रकबा 1.13 हैं0** प्रार्थीगण की खातेदारी होने से भू–अभिलेख निरीक्षक **भिनाय** को राष्ट्रीय लोक अदालत की मंशानुरूप निःशुल्क मौका कमीशनर नियुक्त किया जाता है। भू–अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढ़ी से कम से कम तीन दिन पूर्व समस्त पड़ौसी खातेदारान को उक्त आराजीयात की पत्थरगढ़ी हेतु लिखित सुचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत् सूचित करेंगे तथा मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के प्रस्तुत करने का आदेश दिया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार दर्ज होकर नंबर से कम हो। बाद तामील तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09.12.2023 को बैंच सदस्यों द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास लोक अदालत में सुनाया गया।

(रमेश कुमार करोल)
अध्यक्ष
रा0 लोक अदालत
अध्यक्ष
लोक अदालत बैंच
(तालुका विधिक सेवा समिति)
केकड़ी, जिला–अजमेर

(रवि वर्मा)
सदस्य
रा0 लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (केकड़ी)